भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 204
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है

एचएमटी की तीन अलाभकारी इकाईयों का बंद किया जाना

204. श्री माजीद मेमन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एचएमटी की तीन अलाभकारी इकाईयों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो उन तीन इकाईयों के नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार ने घड़ियां बनाने का काम बन्द करने का भी निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो एचएमटी की तीन अलाभकारी इकाईयों के कर्मचारियों की नियति क्या होगी और क्या उन्हें 2007 के वेतनमान से संबद्ध एक आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की जाएगी और तत्संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन क्या हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 06.01.2016 को संपन्न हुई अपनी बैठक में एचएमटी लिमिटेड की निम्नलिखित सहायक कंपनियों को बंद करने का अनुमोदन किया है:

एचएमटी वाचिज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड

एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड

(ग): सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, इन कंपनियों के सभी कर्मचारियों को डीपीई के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए, 2007 नोशनल वेतनमानों पर आकर्षक वीआरएस पैकेज तथा 2007 नोशनल वेतनमानों पर ही उपदान और छुट्टी नकदीकरण की पेशकश की जाएगी और वीआरएस न लेने वाले कर्मचारियों की औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत छंटनी की जाएगी।

******